Title: Need to review the legislation prohibiting the use of salt.

श्रीमती भावना कर्दम दवे (सुरेन्द्रनगर): अध्यक्ष महोदय, २८ मई,१९९८ से सादा नमक खाने, रखने या उसका कैसे भी प्रयोग करने पर कानूनन प्रतिबंध लगाया गया है। इस कानून को भंग करने पर व्यक्ति को एक हजार रूपया जुर्माना या छः माह कैद की घोषणा की गई है। मैं इस सदन में यह कहना चाहती हूं कि हमें इतिहास की ओर गौर से देखना चाहिए, जब अंग्रेज सरकार ने नमक पर कर थोप दिया था तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किया था। अतः मैं नम्र निवेदन करती हूं कि इस कानून को फिर से देखा जाए क्योंकि आयोडाइज्ड नमक की जरूरत पूरे देश के लोगों को नहीं है। जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर जो लोग रहते हैं उन लोगों में आयोडीन की थोड़ी बहुत कमी दिखायी देती है पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम आदि हैं। आयोडीन की कमी के कारण मात्र तीन लाख लोगों में गॉयटर रोग होने के लक्षण दिखायी दिये हैं। यह जरूरी है कि इस रोग को दूर करने के लिए इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए। किंतु इन तीन लाख लोगों के कारण इस देश की सौ करोड़ जनता के ऊपर यह कानून थोप देते हैं, जो ठीक नहीं है।

मैं मंत्री जी से एक बात और कहना चाहती हूं कि 'यूनीसेफ' के बुलेटिन में लिखा गया है कि आयोडीन हवा में उड़ जाता है और खुले में रखने पर उसकी वाष्पीकरण बहुत जल्दी होता है। आयोडीन नमक का लेबोरेटरी में परीक्षण होगा तो उसकी पृथकीकरण होगा, उसकी रिपोर्ट अलग-अलग आयेगी और उससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि जो सादा नमक गरीब जनता को ५० पैसे प्रति किलो मिलता है, वह आयोडाइज्ड होने से पांच से सात रूपये प्रति किलो मिलेगा। क्या यह गरीब और सामान्य जनता के ऊपर अत्याचार नहीं है। मैं यह पूछना चाहती हूं कि आयोडाइज्ड करने के लिए जो पोटेशियम आयोडीन चाहिए वह हमें विदेशों से लेना पड़ता है। पूरे देश का ७० प्रतिशत नमक मेरे क्षेत्र गुजरात में होता है। इसलिए इस कानून से बहुत बड़ा असर होता है। मैं सदन में आपसे नम्र निवेदन करना चाहती हूं कि मंत्री जी इस ओर ध्यान दें और जो कानून है इस कानून को फिर से देखें, इसका रिव्यू करें, यही मेरा आपसे निवदेन है।